उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 01/2016/3486/92-2-16-89जॉच/2014
लखनऊ:: दिनांक:: 14 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0-13125, यू0पी0-13126, यू0पी0-13131 के लिये अनुबंध गठन हेतु ठेकेदारों/फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में विलम्ब किये जाने तथा अनुबंध गठन से पूर्व परफारमेन्स सिक्योरिटी के सत्यापन के संबंध में विद्यमान दिशा निर्देशों का उल्लघंन करने एवं कालान्तर में सत्यापन किये जाने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी के फर्जी पाये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2015/1581/92-1-2015-89जांच/2014,दिनांक 31-03-2015 द्वारा श्री जे0 एस0 परमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 09-09-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री जे0 एस0 परमार के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाये गये।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होते है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-03-2015 द्वारा श्री जे0 एस0 परमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 01/2016/3486(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री श्री जे0 एस0 परमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।